बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 240622 पटना, दिनांक 03/08/2015

ग्रा.वि. -7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 215360 दिनांक 07.01.2015, 222119 दिनांक 25.02.2015, 223035 दिनांक 04.03.2015, 226744 दिनांक 07.04.2015, 215360 दिनांक 07.01.2015, 229003 दिनांक 20.04.2015, 229434 दिनांक 28.04.2014, 232839 दिनांक 22.05.2015, 239166 दिनांक 22.07.2015 एवं 236474 दिनांक 02.07.2015.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक मे विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई थी तथा समय-समय पर उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों से सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश दिये गये थे । सामाजिक वानिकी हेतु चयनित वनपोषकों को लगातार 5 वर्षों तक वृक्षों के रख-रखाव हेतु प्रति माह 1400/- रुपये मजदूरी भुगतान किया जाना है । कतिपय जिलों से सामाजिक वानिकी योजनाओं के MIS Entry से संबंधित मार्गदर्शन की माँग की जा रही थी । इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक No- J11011/1/2014-RE-I, दिनांक 21.07.2015 द्वारा निदेश दिया गया है कि सामाजिक वानिकी का कार्य Task based है । इस हेतु 15 दिनों तक वृक्षों के देख-भाल/रख-रखाव हेतु लगभग चार (4) मानव-दिवस की आवश्यकता होती है । अतः 15 दिनों तक वृक्षों के देखभाल हेतु प्रत्येक वनपोषक को 175/- रुपये प्रति मानव-दिवस के दर से कुल 700/- रुपये का भुगतान किया जाय ।

इस क्रम में सामाजिक वानिकी की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न निदेश दिया जाता है :-

- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी पाक्षिक रुप से चार मानव-दिवस का ही मस्टर रॉल निर्गत कर 175/- रुपये प्रति मानव-दिवस की दर से भुगतान करेंगे ।
- पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता द्वारा मस्टर रॉल पर यह उल्लेख किया जायेगा कि वनपोषक के द्वारा 15 दिनों तक वृक्षों की

देखभाल/रख-रखाव किया गया है तथा उनके द्वारा 4 मानव दिवस सृजन किया गया है ।

- यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वनपोषक का भुगतान उनकी उपस्थिति के आधार पर ना होकर कुल जीवित पौधों की संख्या के आधार पर (मार्गदर्शिका के पृष्ट 13 पर वर्णित) किया जायेगा ।

2. सामाजिक वानिकी के तहत जिलों में चयनित योजनायें एवं उनकी संख्या MIS पर परिलक्षित नहीं हो रही हैं । सभी उप विकास आयुक्त द्वारा इन योजनाओं की अविलम्ब MIS पर Entry कराई जाय जिससे विभागीय स्तर पर इनकी निगरानी की जा सके ।

3. सामाजिक वानिकी की योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुश्रवन एवं मूल्यांकन हेतु गठित जिला स्तरीय PMU में उस जिले हेतु चयनित फैसीलिटेटर के Distt Co-ordinator अनिवार्य रूप से शामिल होंगे । सभी उप विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक वानिकी की बैठक में संबंधित Facilitator के जिला समन्वयक उपस्थित रहे एवं विभाग को बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रुप से भेजी जाय ।

4. सामाजिक वानिकी के तहत PMU (Project Monitoring Unit) के गठन का प्रतिवेदन मात्र 11 जिलों, कटिहार, रोहतास, बाँका, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली, पू0 चम्पारण, दरभंगा, जहानाबाद, शेखपुरा, पटना से प्राप्त हुआ है । शेष जिलों को यह निर्देश दिया जाता है कि अगले तीन दिनों के अन्दर PMU से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

5. विभागीय पत्रांक 239166 दिनांक- 22.07.2015 द्वारा बिहार के सभी जिलों में ट्रॉली एवं घड़े का प्रावधान, गैवियन का प्रावधान, खाद एवं कीटनाशक की आवश्यकता इत्यादि से संबंधित Model Estimates दिए गए हैं ।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि उच्च प्राथमिकता के साथ सामाजिक वानिकी की योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कृपा जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 3/8/15

सचिव

ज्ञापांक 240622 पटना, दिनांक 03/08/2015

ग्रा.वि. -7(सा0वा0)-08/2014

प्रतिलिपि:- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी फैसीलिटेटर (facilitator) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/8/15

सचिव

127

No. J-11011/1/2014 -RE-I
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 21st July, 2015

To,
Shri Pradeep Kumar
Secretary,
Rural Development Department
Bihar State

Sub: - Regarding issues with MIS and eFMS module in Social Forestry under MGNREGA

Ref: - Your email dated 15th August 2015 and letter No. 238195/ Gra.Vika.-07 (Sa.Va.)-01/2015. dated 15th July 2015.

Sir,

With reference to above, NIC has been instructed to freeze the names of Vanposhaks and their details in MIS for Social Forestry Schemes as suggested. Further, it may be noted that:

a) As the maintenance part in Roadside Tree Plantation is task-based, requiring approximately 4 Persondays per fortnight, a muster can be issued for these works for payment @ Rs 175/day.
b) The Labour material ratio of 60:40 shall be maintained in a year, keeping all the works taken up under MGNREGA in the Gram Panchayat; and the same need not be insisted for each type of work.

Yours Sincerely

(R. Subrahmanyam)
Joint Secretary, MGNREGA
Ministry of Rural Development
Krishi Bhavan, New Delhi-3

8. पौधा प्रजाति का चयन :–

(I) **पौधा** प्रजाति का चयन :– सामाजिक वानिकी / बागबानी के लिए पौधो का चयन करने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। वहाँ के वातावरण, मिट्टी, जल की उपलब्धता आदि के अनुसार ही पौधों की प्रजातियों का चयन होना चाहिए। बागवानी मिशन के अनुसार आम, लीची, अमरूद, जामुन, शरीफा, अनार, सहजन, नींबू तथा कटहल उत्तर बिहार के लिए उपयोगी फलदार पौधा है। दक्षिण बिहार में आम, अमरूद, जामुन, सपोटा अनार, सहजन, नींबू, कटहल आदि लगा सकते है।

(II) बड़े वृक्षो से तात्पर्य निंबु, आँवला, अमरूद, शरीफा, अनार, एवं सहजन के अलावे अन्य वृक्षों से है।

(III) सभी औरनामेन्टल वृक्ष सिवाय गुलमोहर, अशोक, अमलतास के अलावे अन्य, छोटे वृक्ष की श्रेणी में आयेंगे ।

9. वनपोषकों का भुगतान :–

(I) प्रत्येक 200 पौधों पर दो वन पोषकों को संलग्न किया जायेगा। प्रत्येक वन पोषकों को प्रत्येक माह में प्रत्येक जीवित पौधें के आलोक में 7 रूपये की राशि दी जायेगी । यह राशि प्रत्येक माह के अन्त में वनपोषकों को दी जायेगी । अर्थात, प्रत्येक वन पोषक को प्रत्येक वर्ष 200x7x12 =16800 राशि प्रदान की जायेगी । यह राशि वन पोषकों को 5 वर्षो तक दी जायेगी । उत्तर बिहार में 90 प्रतिशत से ज्यादा पौधो के जीवित रहने पर 7 रूपये की दर से, 75–89 प्रतिशत पौधो के जीवित रहने पर 3.5 रूपये की दर से एवं 75 प्रतिशत से कम रहने पर परिवार द्वारा पौधों को नये पौधो से बदल दिया जायेगा। दक्षिण बिहार में 75 प्रतिशत से ज्यादा पौधो के जीवित रहने पर 7 रूपये की दर से, 65–74 प्रतिशत पौधो के जीवित रहने पर 3.5 रूपये की दर से एवं 65 प्रतिशत से कम रहने पर परिवार द्वारा पौधों को नये पौधो से बदल दिया जायेगा। यह 7रू0 का दर भारत सरकार से जबतक परिवर्तित नहीं होता तबतक लागू रहेगा ।

(II) प्राक्कलन (Estimate) में दिया गया दर पॉच पर्षो तक लागू रहेगा ।

10. वन पोषकों का चयन एवं दायित्व :–

(I) हर इकाई के लिए यथा संभव एक ही समुदाय का दो परिवार संलग्न रहेगा। परिवार के पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है।

(II) यथा संभव पौधारोपण जिस स्थान पर होगा उसी क्षेत्र के आसपास के परिवारों का समूह बनाना है।

(III) हर समूह में हर 6 इकाई के लिए 12 परिवारों की महिलाओं को संलग्न करना आवश्यक है। इसे जीविका के अंतर्गत अन्य योजना से अभिसरण कराया जा सकता है।